

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती ( आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 84/2023

दर्ज दिनांक 03.08.2023

जीसीएम प्रकरण संख्या :- 2023/279

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. सुरेशचन्द्र पुत्र लेहरू जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र हीरा जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. किशोर पुत्र हीरा जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशनलाल पुत्र हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. खेमा पुत्र बरदा जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. दीपा पुत्र चेना जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रामा पुत्र हीरा जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. विजयराम पुत्र हीरा जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

फारुख मोहम्मद मन्सूरी - अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एकपक्षीय

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

:: निर्णय ::

दिनांक:- 25.08.2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 08.04.2025 के द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का दूगंच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 59 में अंकित आराजी संख्या 262 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 378/261 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 है0 भूमि में वादी का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए वाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।



राजस्थान काश्तकारी  
(अ.टी.ए.ए.ए.)



मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 84/2023

दर्ज दिनांक 03.08.2023

जीसीएम प्रकरण संख्या :- 2023/279

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. सुरेशचन्द्र पुत्र लेहरू जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र हीरा जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. किशोर पुत्र हीरा जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशनलाल पुत्र हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. खेमा पुत्र बरदा जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. दीपा पुत्र चेना जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रामा पुत्र हीरा जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. विजयराम पुत्र हीरा जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

फारूख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एकपक्षीय

निर्णय दिनांक : 25.08.2025

डिक्री दिनांक : 25.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री फारूख मोहम्मद मन्सूरी व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)	लगान
1	2	3	4	5	
1	सुरेशचन्द्र पुत्र लेहरू जाट रहन वड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा	ग्राम किशोरपुरा (खाता संख्या 59)	378/261/1	0.1067	1.46
		योग	1	0.1067	1.46




न्यायक कलक्टर  
(राज.जी.ओ.) रायपुर

2	अम्बालाल पुत्र हीरा 1/16 जाट, किशोर पुत्र हीरा 1/16 जाट, किशनलाल पुत्र हजारी 1/4 जाट, खेमा पुत्र बरदा 1/4 जाट, दीपा पुत्र चेना 1/16 जाट, विजयराम पुत्र हीरा 1/16 जाट	ग्राम किशोरपुरा (खाता संख्या 59)	262 378/261/2	0.11 0.1033	1.53 1.46
		योग	2	0.2133	2.99


नीज .....Nil.....मुबलिंग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .....  
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की  
 तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.08.2025 को जारी किया गया।

  
 (करुणा लाड़ोती)  
 सहायक कलक्टर पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (मीलवाड़ा)

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		



  
 सहायक कलक्टर पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (मीलवाड़ा)  
 (सहायक कलक्टर पदेन)